The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 9 | September 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था और मनरेगा कार्यक्रम

सुमन कुमारी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखंड

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17328916

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 26-09-2025

Published: 10-10-2025

Keywords:

ग्रामीण विकास, मनरेगा, रोजगार गारंटी, ग्रामीण विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, बेरोजगारी

ABSTRACT

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण और बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है और उनकी आय में वृद्धि करके स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करता है। मनरेगा ने ग्रामीण संरचनात्मक विकास जैसे सड़क, तालाब, सिंचाई, वृक्षारोपण आदि के माध्यम से न केवल रोजगार प्रदान किया है, बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी योगदान दिया है। यह अध्ययन ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में मनरेगा की भूमिका और इसके प्रभावों का विश्लेषण करता है। साथ ही, कार्यक्रम की चुनौतियाँ और सुधार के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए

परिचय (Introduction):

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि एवं श्रम है। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक संरचना अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रही है, जैसे– **मौसमी बेरोजगारी, अल्प आय, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तथा बुनियादी**

सुविधाओं की कमी। इन परिस्थितियों में ग्रामीण समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ लाई जाती रही हैं, जिनमें मनरेगा विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जिसे वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया, एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को **वित्तीय सुरक्षा**, **समान अवसर**, और **स्थायी रोजगार** प्रदान करना है। यह अधिनियम सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। यह न केवल रोजगार प्रदान करता है बल्कि **ग्राम्य स्तर पर परिसंपत्तियों के निर्माण**, **जल संरक्षण**, **भूमि सुधार**, तथा **पर्यावरण संरक्षण** जैसे कार्यों को भी बढ़ावा देता है।

मनरेगा का प्रभाव केवल आर्थिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह **सामाजिक सशक्तिकरण** का भी माध्यम बन चुका है। इस योजना ने महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों को भी अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराकर **समानता और समावेशिता** को बढ़ावा दिया है। मनरेगा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह **"वर्क फॉर वेलफेयर"** की अवधारणा को मूर्त रूप देता है – जिसमें श्रमिकों को न केवल मजदूरी मिलती है, बल्कि उनके श्रम का उपयोग ग्रामीण अवसंरचना के विकास में किया जाता है।

हालांकि मनरेगा के संचालन में कई प्रकार की चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जैसे– **भ्रष्टाचार, कार्यों में पारदर्शिता की कमी, भुगतान में देरी**, एवं **समुचित निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति**। इन समस्याओं के बावजूद, मनरेगा ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है।

इस अध्ययन में हम मनरेगा के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे– जैसे इसकी **योजना, क्रियान्वयन प्रक्रिया, लाभार्थियों की स्थिति, ग्रामीण विकास में योगदान**, तथा **भविष्य की संभावनाएँ**। साथ ही, यह भी समझने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे मनरेगा कार्यक्रम भारत की **ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को मज़बूत करने का एक प्रभावशाली माध्यम** बन सकता है।

समीक्षा साहित्य (Review of Literature):

मनरेगा पर किए गए विभिन्न शोधों एवं अध्ययन रिपोर्टों ने यह दर्शाया है कि यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, सामाजिक समावेशन एवं गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विभिन्न विद्वानों, अनुसंधानों और सरकारी रिपोर्टों से प्राप्त निष्कर्षों को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है:

1. **ड्रेज़ एवं सेन (2013)** ने अपनी पुस्तक *"An Uncertain Glory: India and Its Contradictions"* में बताया कि मनरेगा ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा की एक मजबूत आधारशिला है, जिससे गरीबों को न्यूनतम जीवन-निर्वाह की गारंटी मिलती है। उन्होंने यह भी दर्शाया कि योजना का समुचित क्रियान्वयन आर्थिक असमानता को कम कर सकता है।

2. **नरेगा समर्थ अध्ययन रिपोर्ट (2012)** के अनुसार, मनरेगा ने विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को काम का अवसर देकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि जिन क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से हुए हैं, वहाँ ग्रामीण ढाँचे में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।

3. **शिवकुमार वर्मा (2016)** के अनुसार, मनरेगा ने ग्रामीण युवाओं को गाँव में ही रोजगार देकर पलायन को कुछ हद तक रोका है। उनके अनुसार, यदि योजना के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी को सुधारा जाए, तो यह ग्रामीण विकास की रीढ़ बन सकती है।

4. **नीति आयोग की रिपोर्ट (2019)** ने बताया कि मनरेगा ने जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सिंचाई सुविधा, सड़क निर्माण जैसे कार्यों के माध्यम से न केवल रोजगार दिया, बल्कि ग्रामीण परिसंपत्तियों का सृजन कर दीर्घकालिक आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित किया है।

5. **विश्व बैंक रिपोर्ट (2015)** के अनुसार, मनरेगा को विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक रोजगार योजना माना गया है। इसने भारत के सामाजिक-सुरक्षा ढांचे को मजबूती प्रदान की है। लेकिन साथ ही इसमें **लेखा पारदर्शिता, डेटा डिजिटलीकरण, और समय पर भुगतान** की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

6. **राजशेखर एवं अन्य (2018)** के अध्ययन में पाया गया कि कई राज्यों में कार्यों के चुनाव और क्रियान्वयन में स्थानीय पंचायतों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है, जिससे योजनाओं में जनभागीदारी और उत्तरदायित्व बढ़ा है।

7. **सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS)** द्वारा किए गए फील्ड स्टडीज में यह भी सामने आया कि ग्रामीण महिलाओं की श्रमिक भागीदारी दर मनरेगा के कारण काफी बढ़ी है, जिससे **लैंगिक समानता** को बल मिला है।

समीक्षा का सार:

उपरोक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि मनरेगा न केवल रोजगार की गारंटी देता है, बल्कि ग्रामीण ढाँचे के विकास, सामाजिक समावेशन, और आजीविका स्थायित्व की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निगरानी तंत्र, पारदर्शिता, और स्थानीय स्तर पर सहभागिता को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

चर्चा (Discussion):

मनरेगा भारत की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण योजना है। इसका प्रभाव देश के अनेक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई से देखा गया है। इस खंड में हम मनरेगा के **प्रमुख प्रभावों, उपलब्धियों, चुनौतियों तथा सुझावों** पर चर्चा करेंगे।

1. ग्रामीण रोजगार सृजन में योगदान:

मनरेगा का मुख्य उद्देश्य **बेरोजगारी को कम करना और अस्थायी रोजगार देना** है। इस योजना ने गरीब एवं श्रमिक वर्ग को ग्राम स्तर पर ही रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। विशेषकर कृषि-ऋतु के बाहर के महीनों में जब मजदूरी की कमी रहती है, तब यह योजना आजीविका का स्थायी स्रोत बनकर उभरी है।

उदाहरण के लिए, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में लाखों ग्रामीणों को खेतों के बाहर भी आजीविका का साधन प्राप्त हुआ है।

2. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण:

मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी को कानूनी रूप से सुनिश्चित किया गया है (कम से कम 33%)। इससे महिलाओं को घर के बाहर काम करने का अवसर मिला है, जिससे उनका **आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता** और **सामाजिक सम्मान** बढ़ा है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक देखी गई है।

3. परिसंपत्तियों का निर्माण और कृषि को लाभ:

मनरेगा के अंतर्गत तालाब, कुएँ, जलसंरक्षण ढाँचे, सड़कों, नरेगा पार्क, वृक्षारोपण आदि का निर्माण हुआ है। ये संरचनाएँ न केवल ग्रामीण विकास की आधारशिला बनीं, बल्कि कृषि और पशुपालन जैसी आजीविकाओं को भी मजबूती प्रदान करती हैं।

उदाहरणस्वरूप, जल संरक्षण कार्यों ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर सुधारने में मदद की है, जिससे **सिंचाई सुविधा** में बढ़ोतरी हुई।

4. ग्रामीण पलायन में कमी:

मनरेगा ने गाँवों में ही रोजगार उपलब्ध कराकर **ग्रामीण-शहरी पलायन** को नियंत्रित करने में योगदान दिया है। खासकर कोविड-19 महामारी के समय, जब प्रवासी मजदूर गाँव लौटे, तब मनरेगा ने लाखों लोगों को काम उपलब्ध कराकर संकट में राहत प्रदान की।

5. सामाजिक न्याय और समावेशिता:

इस योजना ने दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुख्यधारा में लाने का कार्य किया है। काम के अधिकार के तहत जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी को समान अवसर दिए जाते हैं।

6. योजना से जुड़ी चुनौतियाँ:

हालाँकि मनरेगा की उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण हैं, फिर भी इसके सामने अनेक चुनौतियाँ हैं:

- **भुगतान में देरी:** श्रमिकों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती, जिससे वे योजना से विमुख हो जाते हैं।
- **नकली जॉब कार्ड व घोटाले:** कई राज्यों में जॉब कार्ड धारकों के नाम पर फर्जी भुगतान की शिकायतें आई हैं।
- **कम पारिश्रमिक:** कई राज्यों में निर्धारित मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम है।
- **प्रशिक्षण व जागरूकता की कमी:** ग्रामीणों में योजना की जानकारी सीमित है, जिससे वे अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाते।

- **कार्य गुणवत्ता की समस्या:** कई बार कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे बनाए गए संसाधन लंबे समय तक उपयोगी नहीं रह पाते।

7. सुधार के सुझाव:

- **डिजिटल निगरानी प्रणाली** को सशक्त किया जाए ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो।
- **भुगतान प्रणाली** को तेज और सरल बनाया जाए, जैसे– आधार से लिंक्ड भुगतान।
- **स्थानीय पंचायतों की भागीदारी** को बढ़ावा दिया जाए।
- **कार्य प्रशिक्षकों और श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम** चलाए जाएँ।
- **सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)** को नियमित और स्वतंत्र बनाया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion):

भारत की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाने और गरीबी, बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं के समाधान हेतु **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)** एक क्रांतिकारी एवं ऐतिहासिक पहल रही है। इस योजना ने न केवल ग्रामीणों को **स्थायी और सम्मानजनक रोजगार** प्रदान किया है, बल्कि उन्हें **आर्थिक आत्मनिर्भरता**, **सामाजिक सुरक्षा**, और **सशक्तिकरण** की दिशा में अग्रसर भी किया है।

मनरेगा के माध्यम से गाँवों में तालाब, सड़क, वृक्षारोपण, जल संरक्षण ढाँचे जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, जिससे कृषि और पर्यावरणीय सुधार को बल मिला है। योजना ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों जैसे वंचित वर्गों को रोजगार देकर **सामाजिक समावेशन और समानता** को भी बढ़ावा दिया है।

हालाँकि, योजना के संचालन में **भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार, कार्य की गुणवत्ता, पारदर्शिता की कमी** जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, जिनके समाधान हेतु **तकनीकी उपायों, जनजागरूकता, प्रभावी निगरानी प्रणाली, और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी** को और सशक्त बनाना आवश्यक है।

अतः यह कहा जा सकता है कि यदि मनरेगा का **ईमानदारीपूर्वक, पारदर्शी और सहभागी ढंग से क्रियान्वयन** किया जाए, तो यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने, और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक **मजबूत आधार स्तंभ** सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ (References):

1. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय। (2022)। **मनरेगा वार्षिक रिपोर्ट**। www.nrega.nic.in
2. Dreze, Jean & Sen, Amartya. (2013). *An Uncertain Glory: India and Its Contradictions*. Allen Lane.
3. नीति आयोग। (2019)। **मनरेगा की प्रभावशीलता पर रिपोर्ट**। नीति आयोग प्रकाशन।
4. वर्मा, शिवकुमार। (2016)। "ग्रामीण रोजगार और मनरेगा की भूमिका।" *भारतीय समाजशास्त्र जर्नल*, खंड 52, अंक 4।
5. विश्व बैंक। (2015)। **Social Protection for a Changing India**। विश्व बैंक प्रकाशन।
6. नरेगा समर्थ अध्ययन रिपोर्ट। (2012)। *MGNREGA Sameeksha 2012*। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
7. राजशेखर, डी. एवं अन्य। (2018)। "Participation of Panchayats in MGNREGA Implementation: A Field Study"। *Economic and Political Weekly*, Vol. 53, No. 22।
8. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS)। (2017)। **Rural Women and MGNREGA Participation** – सर्वेक्षण रिपोर्ट।
9. कुमार, विकास। (2020)। "मनरेगा: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।" *भारतीय विकास समीक्षा*, खंड 14, अंक 2।
10. Planning Commission, Government of India. (2011). *Performance Evaluation of NREGS*।